भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3996

उत्तर देने की तारीख: 17.03.2026

अमरावती जिले में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का उत्थान

3996. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) की महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए कोई योजना शुरू की है अथवा शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं और इसके अंतर्गत कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इन योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितनी महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं पात्र महिला आवेदकों के लिए खुली हैं। तथापि, इनमें से कुछ योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधानों के विवरण के साथ-साथ प्रमुख योजनाओं का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरे भारत में प्रमुख योजनाओं के तहत आवंटित/जारी की गई कुल निधियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रमुख योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे भारत में महिलाओं सहित अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों की कुल संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3996, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, भाग (क) से (ग) के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

प्रमुख योजनाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों का विवरण और उद्देश्य:

क्र.सं.	योजना का नाम	योजनाओं का विवरण और उद्देश्य
	अनुसूचित जातियों के लिए प्रमुख योजनाएं	
1	**अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति**	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) केवल उन अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भारत में अध्ययन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) का दृष्टिकोण अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मार्ग तैयार करना, समावेशिता को बढ़ावा देना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सराहनीय वृद्धि करना है जिसमें पोस्ट-मैट्रिक अथवा माध्यमिक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्धनतम परिवारों के छात्रों पर बल दिया जाता है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
2	**अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**	अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के बच्चों तथा अस्वच्छ एवं जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे माता-पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक स्तर पर समावेशी और समान शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के माता-पिता को प्री-मैट्रिक स्तर पर पढ़ने वाले उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी भागीदारी

		में सुधार हो, विशेष रूप से प्राथमिक से अगले स्तर और प्राथमिक से माध्यमिक स्तर के बीच में पढ़ाई छोड़ने की घटनाओं को कम से कम किया जा सके, वे बेहतर प्रदर्शन करें और उनके पास शिक्षा के पोस्ट-मैट्रिक चरण में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर हो।
3	**प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)**	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2021-22 में तीन मौजूदा योजनाओं, आदर्श ग्राम, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी), और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को मिलाकर शुरू किया गया था। इस योजना के तीन घटक हैं, (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और (iii) 'छात्रावास'। पीएम अजय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना; कौशल विकास, आय सृजक योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना; साक्षरता में वृद्धि करना तथा विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और भारत में अन्य जगहों पर गुणवत्तापूर्ण संस्थानों के साथ-साथ आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके, जहां आवश्यक हो, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना।
4	**लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)**	श्रेष्ठ को दो तरीकों से लागू किया जाता है, जहां मोड-I में, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सीबीएसई/राज्य बोर्डों से संबद्ध निजी आवासीय विद्यालयों को शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। मोड-II के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय/गैर-आवासीय स्कूलों और छात्रावासों की परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। श्रेष्ठ का उद्देश्य सरकार के विकास उपायों की पहुंच को बढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान सहायता संस्थानों

		(गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित) और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की कमी वाले अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में इस कमी को दूर करना और अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए परिवेश प्रदान करना है।
5	**यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा योजना के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)**	प्रतिभाशाली छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए, श्रेयस-एससी एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है, जिसमें "अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा", "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स चिल्ड्रन के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना", "अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज योजना" और "अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप" शामिल हैं। इन उप-योजनाओं का विवरण इस प्रकार है: **<u>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति (टीसीएस)</u>** इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना है। इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए शामिल किया जाएगा। **<u>अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम-केयर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस):</u>** इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना (2024-25 से शामिल) के लाभार्थियों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने और/या प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें।

		<u>अनुसूचित जाति आदि के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस)</u> एनओएस के तहत, अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित कम आय वाले मेधावी छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने जैसे मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। <u>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)</u> इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान में पीएचडी करने के लिए उच्च अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। *टीसीएस, एफसीएस और एनओएस के तहत प्रत्येक चयन वर्ष के लिए 30% छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की जाती हैं।*
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमुख योजनाएं		
6	**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)**	पीएम-यशस्वी के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू की जाती हैं, जो महिला-पुरुष दोनों के लिए हैं और इन योजनाओं के तहत बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है: (i) **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति** ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों (जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत शामिल

		नहीं हैं) के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य प्री-मैट्रिक अथवा माध्यमिक स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके इन श्रेणियों के बच्चों का कल्याण करना और इन्हें प्रोत्साहित करना है। **(ii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति** इस योजना का उद्देश्य पोस्ट-मैट्रिक या माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। **(iii) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा** योजना का उद्देश्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई पूरी करने तक उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करके प्रीमियम शिक्षा प्रदान करना है। **(iv) ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा** इस योजना का उद्देश्य पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों से संबंधित छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना है। इस योजना में बारहवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने के लिए ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, पीएम यशस्वी योजना के तहत एक पांचवां घटक नीचे दिया गया है: **(v) अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।** इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। स्नातक स्तर से नीचे की तुलना में स्नातक छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के

		प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7	**यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस-ओबीसी)**	केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना, "यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस-ओबीसी)", सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिसमें निम्नलिखित दो उप-योजनाएं हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में फेलोशिप (वित्तीय सहायता) प्रदान करके ओबीसी और ईबीसी छात्रों का शैक्षिक सशक्तिकरण करना और विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। 1.ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप 2.अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अम्बेडकर केन्द्रीय क्षेत्र योजना।

श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3996, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, भाग (क) से (ग) के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

विगत तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाओं के तहत आवंटित/जारी की गई कुल निधियां इस प्रकार हैं:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम/योजनाओं का नाम	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26*
	अनुसूचित जातियों के लिए प्रमुख योजनाएं				
1	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	4388.32	5475.42	5562.26	5804.63
2	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	207.93	446.65	460.92	432.97
3	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	164.00	471.11	736.16	353.18
4	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	51.12	81.57	109.98	106.29
5	अनुसूचित जातियों के यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा योजना के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)	324.74	379.98	404.61	365.6
	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए प्रमुख योजनाएं				
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों	1390.02	1329.26	1435.51	796.83

	(डीएनटी) के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)				
7	ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	75.3	145.94	157.64	105.34

* 12.03.2026 तक

अनुलग्नक-III

श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े द्वारा पूछा गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3996, जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, भाग (क) से (ग) के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रमुख योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे भारत में महिलाओं सहित अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों की कुल संख्या

क्र.सं.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम/योजनाओं का नाम	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26*
	अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए प्रमुख योजनाएं				
1	अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	46,47,135	47,38,578	48,04,208	42,84,762
2	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	11,34,268	21,29,540	21,65,983	20,56,682
3	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	47,567	13,764	5,254	410
4	लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)	16,479	15,816	14,281	8,977
5	अनुसूचित जातियों के यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा योजना के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)	8,435	8,472	10,896	9,308
	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए प्रमुख योजनाएं				
6	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) तथा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)	44,07,497	45,70,204	45,46,580	22,48,493
7	अन्य पिछड़े वर्गों और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)	5,729	4,798	3,034	2,524

* 12.03.2026 तक
